रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-20112020-223199
CG-MH-E-20112020-223199

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 504] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 19, 2020/कार्तिक 28, 1942
No. 504] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 19, 2020/KARTIKA 28, 1942

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 29 अक्तूबर, 2020

सं. टीएएमपी/73/2018-एनएमपीटी .— महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद् द्वारा प्राधिकरण द्वारा 10 अक्तूबर 2019 को पिछले आदेश संख्या टीएएमपी/73/2018-एनएमपीटी द्वारा अनुमोदित न्यू मंगलोर पत्तन न्यास में शुष्क बल्क कार्गो पोतों के मौजूदा निष्पादन मानकों और शास्ति प्रोत्साहन की वैधता का विस्तार, इसके साथ संलग्न आदेश द्वारा, करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला संख्या टीएएमपी/73/2018- एनएमपीटी

न्यू मंगलोर पत्तन न्यास - - - *आवेदक*

गणपूर्ति

(i) श्री टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

(ii) श्री रजत सच्चर, सदस्य (आर्थिक)

आदेश

(अक्तूबर, 2020 के 28 वें दिन पारित)

यह मामला, मौजूदा निष्पादन मानकों और एनएमपीटी में शुष्क बल्क कार्गो के लिए शास्ति/प्रोत्साहन की वैधता के विस्तार के लिए न्यू मंगलोर पत्तन न्यास (एनएमपीटी) द्वारा दायर प्रस्ताव से संबंधित है।

2. इस प्राधिकरण ने, एनएमपीटी के प्रस्ताव के आधार पर और हितधारकों के साथ विधिवत् परामर्शी प्रक्रिया का अनुपालन और संयुक्त सुनवाई आयोजित करने के पश्चात् 10 अक्तूबर, 2019 अपने आदेश संख्या टीएएमपी/73/2019-एनएमपीटी द्वारा शुष्क बल्क कार्गो महापत्तन न्यास बर्थिंग नीति 2016 के अंतर्गत अपेक्षित निष्पादन मानकों का संशोधन और प्रोत्साहन/शास्तियों के लिए एनएमपीटी से प्राप्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया था। वह आदेश भारत के राजपत्र में 30 अक्तूबर, 2019 के राजपत्र संख्या 380 में अधिसूचित हुआ था। अधिसूचित आदेश 30 नवंबर, 2019 से प्रभावी हुआ था और एक वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् 28 नवंबर, 2020 तक बैध था।

3.1. एनएमपीटी ने 9 अक्तूबर, 2020 के ई-मेल द्वारा 6 अक्तूबर, 2020 का अपना पत्र संख्या एनएमपीटी/डीटीएम/स्थापना/बीपी/2020 इस अनुरोध के साथ भेजा है कि शुष्क बल्क कार्गो पोतों के निष्पादन मानक और प्रोत्साहनों तथा शास्तियों (इस प्राधिकरण के 10 अक्तूबर, 2019 के आदेश संख्या टीएएमपी/73/2018-एनएमपीटी द्वारा अनुमोदित) को और एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया जाए।

3.2. शुष्क बल्क कार्गो पोतों के मौजूदा निष्पादन मानकों और शास्तियों/प्रोत्साहनों की वैधता का विस्तार चाहने के लिए एनएमपीटी द्वारा किये गए निवेदनों का सार इस प्रकार है:-

(i) 30.11.2019 से 31.07.2020 तक की अवधि के लिए शुष्क बल्क कार्गो पोतों के निष्पादन की समीक्षा की गई और यह पाया गया कि प्रहस्तित 66 शुष्क बल्क पोतों में से 38 पोतों (57.58%) ने मानक प्राप्त कर लिए। लेकिन, 28 पोत (42.42%) मानक प्राप्त नहीं कर सके। इसके अतिरिक्त, उन 38 पोतों में से जिन्होंने मानक प्राप्त कर लिए थे, 11 पोतों ने उपांतिक मानक ही प्राप्त किये।

(ii) पत्तन प्रयोक्ताओं के साथ उनके द्वारा प्राप्त निष्पादन की समीक्षा के लिए 20.08.2020 को एक बैठक आयेजित की गई और उस बैठक में कोविड-19 महामारी को और उसका व्यापार पर प्रभाव को देखते हुए मौजूदा निपादन मानक जारी रखे जाएं।

(iii) बोर्ड ने संकल्प संख्या 83/2020-21 के द्वारा मौजूदा निष्पादन मानकों और शुष्क बल्क कार्गो पोतों के लिए शास्तियों/प्रोत्साहनों को एक और वर्ष की अवधि के लिए जारी रखने का अनुमोदन किया।

4. मौजूदा निष्पादन मानक और शुष्क बल्क कार्गो पोतों के लिए शास्तियों/प्रोत्साहनों की वैधता 29 नवंबर, 2020 को समाप्त हो रही है। एनएमपीटी द्वारा किये गए निवेदन के आधार पर और चूंकि एनएमपीटी बोर्ड ने मौजूदा निष्पादन मानक और शुष्क बल्क कार्गो पोतों की शास्तियों/प्रात्साहनों की वैधता के एक और वर्ष तक बढ़ाये जाने का अनुमोदन किया है, यह प्राधिकरण 10 अक्तूबर 2019 को पारित आदेश संख्या टीएएमपी/73/2018-एनएमपीटी के द्वारा इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित निष्पादन मानकों और शुष्क बल्क कार्गो पोतों की शास्तियों/प्रात्साहनों को उनकी समाप्ति की तारीख से एक और वर्ष के लिए, अर्थात् 28 नवंबर, 2021 तक, विस्तार करता है।

5. परिणाम में और ऊपर दिये गए कारणों से तथा सामूहिक सोच विचार के आधार पर यह प्राधिकरण 10 अक्तूबर 2019 को पारित आदेश संख्या टीएएमपी/73/2018-एनएमपीटी के द्वारा इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित निष्पादन मानकों और शुष्क बल्क कार्गो पोतों की शास्तियों/प्रात्साहनों को उनकी समाप्ति की तारीख से एक और वर्ष के लिए, अर्थात् 28 नवंबर, 2021 तक, विस्तार करता है। यह वैधता स्वत: व्यपगत हो जायेगी जब तक कि इस प्राधिकरण द्वारा इसका विशेष रूप से विस्तार नहीं कर दिया जाता।

टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन.-III/4/असा./353A/2020-21]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 29th October 2020

No. TAMP/73/2018-NMPT.—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the existing performance norms and penalty/ incentive for Dry Bulk Cargo vessels at New Mangalore Port Trust approved by this Authority vide earlier Order No.TAMP/73/2018-NMPT dated 10 October 2019 as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

Case No.TAMP/73/2018-NMPT

New Mangalore Port Trust - - - Applicant

QUORUM

(i) Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)

(ii) Shri. Rajat Sachar, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 28th day of October 2020)

This case relates to a proposal filed by New Mangalore Port Trust (NMPT) for extension of the validity of the existing performance norms and penalty/ incentive for Dry Bulk Cargo vessels at NMPT.

2. This Authority vide its Order No.TAMP/73/2018-NMPT dated 10 October 2019 has, based on the proposal of NMPT and after following due consultation process with stakeholders and after holding joint hearing, approved the proposal received from NMPT for revision of Performance norms and incentives/ penalties required under Berthing Policy for Major Port Trusts, 2016 for Dry Bulk Cargo. This Order was notified in the Gazette of India on 30 October 2019 vide Gazette No.380. The notified Order came into effect from 30 November 2019 and validity is prescribed for a period of 1 year i.e. 28 November 2020.

3.1. The NMPT vide its e-mail dated 9 October 2020 has forwarded its letter No. NMPT/DTM/ Estt./BP/2020 dated 6 October 2020 requesting to grant approval to continue the existing performance norms and penalty/ incentive for Dry Bulk Cargo vessels (approved by this Authority vide Order No.TAMP/73/2018-NMPT dated 10 October 2019) for further period of one year.

3.2. The main submissions made by the NMPT for seeking of extension of the validity of the existing performance norms and penalty/ incentive for Dry Bulk Cargo vessels are summarised below:

(i) For the period 30.11.2019 to 31.07.2020 the performance of Dry bulk cargo vessels were reviewed and it was observed that, 38 vessels (57.58%) out of 66 Dry Bulk cargo vessels handled, achieved the norms. However, 28 vessels (42.42%) did not achieve the norms. Moreover, out of 38 vessels that achieved the norms, 11 vessels marginally achieved the norms.

(ii) A meeting was held with port users on 20.08.2020 to review the performance achieved by them and it was agreed in the meeting to continue the existing performance norms in view of COVID-19 pandemic and its effect on trade.

(iii) The Board vide resolution no.83/2020-21 has approved to continue the existing performance norms and penalty/ incentive for Dry Bulk Cargo vessels for further period of one year.

4. The validity of the existing performance norms and penalty/ incentive for Dry Bulk Cargo vessels will expire on 29 November 2020. Based on the submissions made by the NMPT and since the NMPT Board has approved to extend the validity of the existing Berthing norms and penalty/ incentive scheme for a period of one year, this Authority extends the validity of the existing performance norms and penalty/ incentive for Dry Bulk Cargo vessels approved by this Authority vide Order No.TAMP/73/2018-NMPT dated 10 October 2019 from the date of its expiry for a period of one year i.e. till 28 November 2021.

5. In the result, and for the reasons given above, and based on a collective application of mind, this Authority extends the validity of the existing performance norms and penalty/ incentive for Dry Bulk Cargo vessels at NMPT approved by this Authority vide Order No.TAMP/73/2018-NMPT dated 10 October 2019 from the date of its expiry for a period of one year i.e. till 28 November 2021. The validity shall automatically lapse unless specifically extended by this Authority.

T. S. BALASUBRAMANIAN,Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty./353A/2020-21]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.11.20 19:57:08 +05'30'